

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्यालय आदेश

का0आ0 सं0-5/अ0प्र0-01-16/2024

65

/पटना, दिनांक- 7-2-25

श्रीमती अलका साक्षी, प्राक्कलन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अररिया सम्प्रति कार्य प्रमंडल, बांका-02 को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 01.11.2023 से 28.04.2024 तक अपने प्रथम संतान के लिए कुल 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त अवधि में श्रीमती अलका साक्षी, प्राक्कलन पदाधिकारी, को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-16/2024

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार का कार्यालय, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-16/2024

1703

/पटना, दिनांक- 7-2-25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता-04, पूर्णियाँ/मुख्य अभियंता-03, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, अररिया/बांका-02/श्रीमती अलका साक्षी, प्राक्कलन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अररिया सम्प्रति कार्य प्रमंडल, बांका-02 एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

①